

**प्रेस नोट-**  
**थाना बरुआसागर, झाँसी**

**दिनांक – 04.05.2026**

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
- गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से हमल में प्रयुक्त तलवार बरामद,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.05.2026 को थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-93/2026 धारा-109(1)/333/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभि0 –कृष्णा उर्फ किन्ना पुत्र राजू आहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी- काशीराम कालोनी, बस स्टैण्ड के पास, थाना-बरुआसागर, जनपद- झाँसी को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 03.05.2026 को वादिया के घर में घुसकर वादिया के पति मेहरवान अहिरवार के साथ गाली-गलौज करना व हाथ में लिए तलवार से जान से मारने की नियत से हमला किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**अभि0 गण का विवरण-** कृष्णा उर्फ किन्ना पुत्र राजू आहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी- काशीराम कालोनी, बस स्टैण्ड बरुआसागर, थाना- बरुआसागर, जनपद- झाँसी

**बरामदगी का विवरण:-** हमले में प्रयुक्त 01 तलवार

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -**

- 1.उ0नि0 श्री विशेष पाल सिंह थाना बरुआसागर झाँसी
2. रि0का0 अनुराग सिंह गौतम थाना बरुआसागर झाँसी
- 3.रि0का0 उदय प्रताप सिंह थाना बरुआसागर झाँसी